न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
धाबू वगैरह बनाम नाथी वगैरह
मु० नं०-68/2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	19/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील संघ द्वारा कण्डोलेंस पेश करने पर पत्रावली पुनर्निर्माण दिनांक 30/01/24 को पेश हो। [signature]	
	30/1/24	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कण्डोलेंस / कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पुनर्नुसार दिनांक 2/2/24 पेश हुई [signature]	
	2/2/24	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कण्डोलेंस / कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पुनर्नुसार दिनांक 5/2/24 पेश हुई [signature]	
	5/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। उभय बहस जारी रखी गई। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 8/2/24 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	08/02/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 9/2/24 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	09/02/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश। [illegible]	

फर्द अहकाम

धापू वगैरह बनाम नरसी वगैरह

...य उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

68/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	पत्रावली के संलग्न प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट व तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की सहमति जवाब प्रा. पत्र तथा अप्रार्थी सं. 7, 8, 9 द्वारा प्रस्तुत रिटर्न अन्तर्गत प्रा. पत्र धारा 128 एल. आर. एक्ट का अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर पाया कि प्रकरण पत्थरगढ़ी का न होकर कब्जे का विवाद संबंधित बनता है जिसके लिए प्रार्थी को सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिए तथा तहसीलदार रिपोर्ट से भी जाहिर होता है कि उभय पक्षों के बीच कब्जे को लेकर विवाद है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट को अस्वीकार करना उचित समझता हूँ। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट को पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली कोर्ट से शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़	